

No.2016/HQ/Admin/RTI-319

New Delhi; 09-01-2017

Sh. Subodh Singh,
S/o Sunil Singh,
Resi-904, Anandnagar,
Itawah, U.P.-206001,
M.No.-9412446272

Dear Applicant,

Sub: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना सुलभ कराना।
Providing information under the RTI Act 2005
Ref: Your original application dated 02-12-2016 received on 08-12-2016.

उक्त के सम्बन्ध में प्रार्थी को सूचित किया जाता है कि उसके द्वारा रिट याचिका सं० 63467/2011 मा० उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जिसमें समक्ष प्राधिकारी द्वारा घोषित ग्राम- ककराही, तहसील- औरैया सदर, जिला- औरैया, अभिनिर्णय दिनांक- 08.02.2010 (छायाप्रति) एक संलग्नक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उक्त अभिनिर्णय में धारा 20 ई के प्रकाशन के उपरान्त आंशिक रकबा बहिस्कृत कर दिया गया था। किन्तु मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.2016 तथा सन्दर्भित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक- 07.12.11 एवं 30.03.11 के अनुसार मूल अभिनिर्णय दिनांक - 08.02.10 के अन्तर्गत ही बहिस्कृत रकबे का प्रतिकर दिया जाना है। तदनुसार प्रतिकर प्रार्थी द्वारा प्राप्त भी किया जा चुका है, जिसमें अभिनिर्णय के दो माह विलम्ब से घोषित होने के आधार पर दो माह का ब्याज भी अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में सम्मिलित था।

उक्त रिट याचिका में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अभिनिर्णय की प्रति से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास मूल अभिनिर्णय की प्रति उपलब्ध है। जिसके आधार पर प्रतिकर प्रार्थी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है।

अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पता है: श्री सतीश कोठारी, ग्रुप महाप्रबंधक/प्रशासन, डी एफ सी सी आई एल, नई दिल्ली-110001.



ED508576968IN

8/c

09/01/17

(तेजपाल चावला)

(Tejpal Chawla)

प्रबंधक/प्रशासन/आर टी आई
Manager/Admin/RTI

copy/copies for information to:

CPM/Tundla :For information & record.